

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: प.1(1)चिस्वा/ग्रुप-2/2020

जयपुर, दिनांक : 10.05.2021

आदेश


इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 03.09.2020 के मद "दवाएँ जिनकी दर पैकेज में सम्मिलित नहीं है" के बिन्दु संख्या 4 में प्रदेश के निजी अस्पतालों में कोविड-19 के उपचार हेतु प्लाज्मा थेरपी 200ml. की अधिकतम दर 16500/- रूपये निर्धारित की गई थी, में आंशिक संशोधन करते हुए एक यूनिट कन्वलसेंट प्लाज्मा (200ml.) की दर 10,000/- रूपये निर्धारित की जाती है।



(अखिल-अरोरा)  
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय/ मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय
3. वरिष्ठ उप सचिव, मा. मुख्य सचिव महोदय।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
8. मिशन निदेशक, एमएचएम, मुख्यालय।
9. निजी सचिव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी, जयपुर।
10. समस्त जिला कलेक्टर, राज.
11. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग
12. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, राज.
13. प्रबन्धक, समस्त निजी चिकित्सा संस्थान, राज.
14. समस्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर
15. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन राज.
16. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज./प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राज.
17. जन सम्पर्क अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर।



(संजय कुमार)  
शासन उप सचिव